17 जून, 2022

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

<u>निवेशकों को अपना मोबाइल नंबर बदलने / अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सुविधा और साथ ही यह जाँचने की सुविधा कि पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु उन्हें संदेश (एसएमएस) भेजा गया है या नहीं</u>

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति [इसका उल्लेख यहाँ आगे "**समिति**" के रूप में किया गया है] को निवेशकों की ओर से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण उन्हें पीएसीएल प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने से संबंधित संदेश (एसएमएस) नहीं मिल पा रहा है । कई निवेशकों ने यह उल्लेख किया कि ऑन-लाइन दावे प्रस्तुत करते समय उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिए थे वे अब चालू ही नहीं हैं ।

2. तदनुसार, समिति ने पीएसीएल लि. के निवशकों / आवेदकों को वेब पोर्टल (https://www.sebipaclrefund.co.in) पर अब निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की हैं:

   क) **पैसा लौटाए जाने (रिफंड) हेतु बनाए गए पोर्टल पर मोबाइल नंबर बदलने / मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सुविधाः** पीएसीएल लि. के निवेशक / आवेदक अब वेब पोर्टल पर अपने पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) मोबाइल नंबर को बदल / अपडेट कर सकते हैं ।

   ख) **यह जाँचने की सुविधा कि निवेशकों को पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु संदेश (एसएमएस) भेजा गया है या नहीं:** जिन निवेशकों / आवेदकों के दावे की रकम 10,001/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की है, वे अब वेब पोर्टल पर यह जाँच सकते हैं कि उनके पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) मोबाइल नंबर पर पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु संदेश (एसएमएस) भेजा गया है या नहीं।

3. उपरोक्त पोर्टल पर मोबाइल नंबर को किस प्रकार अपडेट किया जाएगा और यह किस प्रकार जाँचा जाएगा कि पीएसीएल प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु संदेश (एसएमएस) निवेशकों को उनके पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) मोबाइल नंबरों पर भेजे गए हैं या नहीं, इसके पूरे ब्यौरे वेब पोर्टल पर दिए हुए हैं ।

नोडल अधिकारी-सह-सचिव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)